



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ अश्विन १९३७ (१०)

(सं० पटना ११०२) पटना, वृहस्पतिवार, १ अक्टूबर २०१५

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

०१ अक्टूबर २०१५

सं० बी१-३-९५/२०१५-३३—बिहार विधान—सभा आम निर्वाचन, २०१५ के अवसर पर ११३—एकमा, ११४—मांझी, ११५—बनियापुर, ११६—तरैया, ११७—मढ़ौरा, ११८—छपरा, ११९—गरखा (अ०जा०), १२०—अमनौर, १२१—परसा, १२२—सोनपुर, १२३—हाजीपुर, १२४—लालगंज, १२५—वैशाली, १२६—महुआ, १२७—राजापाकार (अ०जा०), १२८—राघोपुर, १२९—महनार, १३०—पातेपुर (अ०जा०), १७१—अस्थावॉ, १७२—बिहारशरीफ, १७३—राजगीर (अ०जा०), १७४—इस्लामपुर, १७५—हिलसा, १७६—नालन्दा, १७७—हरनौत, १७८—मोकामा, १७९—बाढ़, १८०—बिखियारपुर, १८१—दीघा, १८२—बाँकीपुर, १८३—कुम्हरार, १८४—पटना साहिब, १८५—फतुहा, १८६—दानापुर, १८७—मनेर, १८८—फुलवारी (अ.जा.), १८९—मसौढ़ी (अ.जा.), १९०—पालीगंज, १९१—बिक्रम, १९२—संदेश, १९३—बड़हरा, १९४—आरा, १९५—अगिआँव (अ.जा.), १९६—तरारी, १९७—जगदीशपुर, १९८—शाहपुर, १९९—ब्रहमपुर, २००—बक्सर, २०१—झुमराँव एवं २०२—राजपुर (अ.जा.) विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०-बी१-३-९५/२०१५-३२ दिनांक ०१.१०.२०१५ एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं०-४६४/बिहार-वि.स./२०१५ दिनांक ०१.१०.२०१५ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

**निर्वाचन विभाग****अधिसूचना****01 अक्टूबर 2015**

सं0 बी1-3-95/2015-32—यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान—सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 29 नवम्बर, 2015 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान—सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है; और

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतद द्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वान बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान—सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

**सारणी**

विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
113—एकमा
114—माङ्झी
115—बनियापुर
116—तरैया
117—मढौरा
118—छपरा
119—गरखा (अ0जा0)
120—अमनौर
121—परसा
122—सोनपुर
123—हाजीपुर
124—लालगंज
125—वैशाली
126—महुआ
127—राजापाकार (अ0जा0)
128—राघोपुर
129—महनार
130—पातेपुर (अ0जा0)
171—अस्थावॉ
172—बिहारशरीफ
173—राजगीर (अ0जा0)

विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
174—इस्लामपुर
175—हिलसा
176—नालन्दा
177—हरनोत
178—मोकामा
179—बाढ़
180—बचितयारपुर
181—दीघा
182—बॉकीपुर
183—कुम्हरार
184—पटना साहिब
185—फतुहा
186—दानापुर
187—मनेर
188—फुलवारी (अ.जा.)
189—मसौढ़ी (अ.जा.)
190—पालीगंज
191—बिक्रम
192—संदेश
193—बड़हरा
194—आरा
195—अगिऊव (अ.जा.)
196—तरारी
197—जगदीशपुर
198—शाहपुर
199—ब्रह्मपुर
200—बक्सर
201—झुमराँव
202—राजपुर (अ.जा.)

राज्यपाल के नाम व उनके आदेश से,

बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

## ELECTION DEPARTMENT

**NOTIFICATION***The 1<sup>st</sup> October 2015*

**No. B1-3-95/2015-32**—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 29<sup>th</sup> November, 2015 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the state of Bihar ; and

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

**TABLE**

Number and name of Assembly Constituencies
113-Ekma
114-Manjhi
115-Baniapur
116-Taraiya
117-Marhaura
118-Chapra
119-Garkha (SC)
120-Amnour
121-Parsa
122-Sonepur
123-Hajipur
124-Lalganj
125-Vaishali
126-Mahua
127-Raja Pakar (SC)
128-Raghopur
129-Mahnar
130-Patepur (SC)
171-Asthawan
172-Biharsharif
173-Rajgir (SC)
174-Islampur
175-Hilsa
176-Nalanda
177-Harnaut

Number and name of Assembly Constituencies
178-Mokama
179-Barh
180-Bakhtiarpur
181-Digha
182-Bankipur
183-Kumhrar
184-Patna Sahib
185-Fatuha
186-Danapur
187-Maner
188-Phulwari (SC)
189-Masaurhi (SC)
190-Paliganj
191-Bikram
192-Sandesh
193-Barhara
194-Arrah
195-Agiaon (SC)
196-Tarari
197-Jagdishpur
198-Shahpur
199-Brahampur
200-Buxar
201-Dumraon
202-Rajpur (SC)

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR,  
CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BIHAR.

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 01 अक्टूबर, 2015/9 आश्विन, 1937 (शक)

सं0 464/बिहार-वि.स./2015:-यतः बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान-सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा-30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसारण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा:-  
(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	08 अक्टूबर, 2015 (वृहस्पतिवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	09 अक्टूबर, 2015 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थितारां वापिस लेन की अन्तिम तारीख :	12 अक्टूबर, 2015 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा :	28 अक्टूबर, 2015 (बुधवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	12 नवम्बर, 2015 (वृहस्पतिवार)

नियत करता है, और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को सारणी के स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्त्वानीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

## सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
113-एकमा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
114-मांझी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
115-बनियापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
116-तरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
117-मढ़ौरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
118-छपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
119-गरखा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
120-अमनौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
121-परसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
122-सोनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
123-हाजीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
124-लालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
125-वैशाती	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
126-महुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
127-राजापाकार (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
128-राघोपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
129-महनार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
130-पातेपुर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
171-अस्थावाँ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

विधान—समा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
172—बिहारशरीफ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
173—राजगीर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
174—इस्लामपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
175—हिलसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
176—नालन्दा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
177—हरनौत	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
178—मोकामा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
179—बाढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
180—बख्तियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
181—दीघा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
182—बाँकीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
183—कुम्हरार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
184—पटना साहिब	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
185—फतुहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
186—दानापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
187—मनेर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
188—फुलवारी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
189—मसौढ़ी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
190—पालीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
191—बिक्रम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
192—संदेश	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
193—बड़हरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
194—आरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
195—अगीआँव (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
196—तरारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
197—जगदीशपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
198—शाहपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
199—ब्रह्मपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
200—बक्सर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
201—दुमराँव	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
202—राजपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

आदेश से,  
आर. के. श्रीवास्तव,  
प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 01<sup>st</sup> October, 2015/  
9 Asvina, 1937 (Saka)*

No. 464/BR-LA/2015 :- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by a notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 1<sup>st</sup> October, 2015, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column(1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby :-

(A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table:—

- (a) the 8<sup>th</sup> October, 2015 (Thursday) : as the last date for making nominations;
- (b) the 9<sup>th</sup> October, 2015 (Friday) : as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 12<sup>th</sup> October, 2015 (Monday) : as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the 28<sup>th</sup> October, 2015 (Wednesday) : as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) the 12<sup>th</sup> November, 2015 (Thursday) : as the date before which the election shall be completed;

and

(B) **fixes the hours**, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above in the corresponding Constituency shown in column (1) of the Table :

**TABLE**

<b>Number and name of the Assembly Constituency</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
113-Ekma	7.00 AM to 5.00 PM
114-Manjhi	7.00 AM to 5.00 PM
115-Baniapur	7.00 AM to 5.00 PM
116-Taraiya	7.00 AM to 4.00 PM
117-Marhaura	7.00 AM to 5.00 PM
118-Chapra	7.00 AM to 5.00 PM
119-Garkha (SC)	7.00 AM to 5.00 PM

<b>Number and name of the Assembly Constituency</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
120-Amnour	7.00 AM to 4.00 PM
121-Parsa	7.00 AM to 5.00 PM
122-Sonepur	7.00 AM to 5.00 PM
123-Hajipur	7.00 AM to 5.00 PM
124-Lalganj	7.00 AM to 5.00 PM
125-Vaishali	7.00 AM to 4.00 PM
126-Mahua	7.00 AM to 5.00 PM
127-Raja Pakar (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
128-Raghopur	7.00 AM to 4.00 PM
129-Mahnar	7.00 AM to 5.00 PM
130-Patepur (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
171-Asthawan	7.00 AM to 5.00 PM
172-Biharsharif	7.00 AM to 5.00 PM
173-Rajgir (SC)	7.00 AM to 5.00 PM
174-Islampur	7.00 AM to 4.00 PM
175-Hilsa	7.00 AM to 5.00 PM
176-Nalanda	7.00 AM to 5.00 PM
177-Harnaut	7.00 AM to 5.00 PM
178-Mokama	7.00 AM to 5.00 PM
179-Barh	7.00 AM to 5.00 PM
180-Bakhtiarpur	7.00 AM to 5.00 PM
181-Digha	7.00 AM to 5.00 PM
182-Bankipur	7.00 AM to 5.00 PM
183-Kumhrar	7.00 AM to 5.00 PM
184-Patna Sahib	7.00 AM to 5.00 PM
185-Fatuha	7.00 AM to 5.00 PM
186-Danapur	7.00 AM to 5.00 PM
187-Maner	7.00 AM to 5.00 PM
188-Phulwari (SC)	7.00 AM to 5.00 PM

<b>Number and name of the Assembly Constituency</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
189-Masaurhi (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
190-Paliganj	7.00 AM to 4.00 PM
191-Bikram	7.00 AM to 5.00 PM
192-Sandesh	7.00 AM to 5.00 PM
193-Barhara	7.00 AM to 5.00 PM
194-Arrah	7.00 AM to 5.00 PM
195-Agiaon (SC)	7.00 AM to 4.00 PM
196-Tarari	7.00 AM to 4.00 PM
197-Jagdishpur	7.00 AM to 5.00 PM
198-Shahpur	7.00 AM to 5.00 PM
199-Brahampur	7.00 AM to 5.00 PM
200-Buxar	7.00 AM to 5.00 PM
201-Dumraon	7.00 AM to 5.00 PM
202-Rajpur (SC)	7.00 AM to 5.00 PM

By Order,  
R. K. SRIVASTAVA,  
*Principal Secretary,*  
*Election Commission of India.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1102-571+300-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>